पत्रांक ..../प0अ0/2014 दिनांक : 30-09-2014

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 30/09/2014 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1. प्रो0 अशोक कुमार, कुलपति	अध्यक्ष
2. श्री0 अशोक कुमार अरविन्द--कुलसचिव	सदस्य
3. प्रो0 सुरेन्द्र दूबे, अधिष्ठाता, कला संकाय	सदस्य
4. प्रो0 एच0एस0 शुक्ला, अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	सदस्य
5. प्रो0 लाल जी त्रिपाठी, अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	सदस्य
6. प्रो0 जितेन्द्र तिवारी, अधिष्ठाता, विधि संकाय	सदस्य
7. प्रो0 एम0सी0 गुप्ता, अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	सदस्य
8. डॉ0 महेश्वर सिंह, अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
9. प्रो0 अंजनी कुमार सिंह, दर्शनशास्त्र विभाग	सदस्य
10. प्रो0 अशोक कुमार श्रीवास्त, इतिहास विभाग	सदस्य
11. डॉ0 सुष्मिता भट्टाचार्य, अंग्रेजी विभाग	सदस्य
12. डॉ0 कमलेश कुमार गौतम, प्रवक्ता, प्राचीन इतिहास विभाग।	सदस्य
13. डॉ0 सी0एस0 मिश्र, एल0बी0एस0 डिग्री कालेज, आनंद नगर, महराजगंज	सदस्य
14. प्रो0 जितेन्द्र तिवारी, विश्वविद्यालय शिक्षक संघ	सदस्य
15. श्री अखिलेश कुमार पाल, परीक्षा नियंत्रक	सचिव

कार्यवृत्त :--

1 परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 20/09/2014 की संपुष्टि पर विचार।

निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 20/09/2014 की संपुष्टि की।

2 वर्ष-2012 की परीक्षा में महाविद्यालय द्वारा जमा अतिरिक्त परीक्षा शुल्क की वापसी के सम्बन्ध में प्रबन्धक, अखिल भारत महाविद्यालय रानापार, बिशुनपुरा बाबा बरही, गोरखपुर के पत्र दिनांक 31/01/14 के सम्बन्ध में विचार। एजेण्डा बिन्दु संलग्न है।

नोट-- "यह प्रकरण परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 10/08/13 के बिन्दु 1 (क) पर रखा गया था, समिति ने सम्यक विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि वास्तविक पूरित परीक्षा फार्म के शुल्क से अधिक अतिरिक्त जमा शुल्क सम्बन्धित छात्रों के आवेदन प्राप्त कर उन्हें उनके प्राप्त पर वापस कर दिया जाय।"

पुनः यह प्रकरण परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 11/12/13 के बिन्दु 5 पर रखा गया था। समिति सम्यक विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रबन्धक का प्रतिवेदन स्वीकार न किया जाय तथा पूर्व की भांति नियमानुसार सम्बन्धित छात्रों को ही परीक्षा शुल्क वापसी की पूर्व व्यवस्था रखी जाय।

निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि परीक्षा समिति के पूर्व निर्णय को माना जाय।

3. कु0 शबनम बी0 ए0 भाग तीन वर्ष--1994 अनु0--111250 जव्वाद अली शाह इमामबाड़ा गर्ल्स पी0जी0 कालेज, गोरखपुर से सम्मिलित हुयी हैं अभिलेख कक्ष की शा0पं0 में अनु0--111250 पर कु0 शहला तबस्सुम, पुत्री--नियामतउल्लाह तथा अनु0--111251 पर भी कु0 शहला तबस्सुम, पुत्री--श्री अली असर अंकित है शबनम के प्रार्थनापत्र के अनुसार 111250 पर कु0 शबनम पुत्री--नियामतउल्लाह होना चाहिये पर विचार।

निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से इस प्रकरण को अस्वीकार किया।

4 अध्यक्ष, राजनीतिशास्त्र विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के पत्र दिनांक 09/07/14 द्वारा [illegible] कपूर एम0 ए0 द्वितीय सेमेस्टर, राजनीतिशास्त्र सत्र 2012-13 की छूटी मौखिक परीक्षा कराने पर विचार। एजेण्डा बिन्दु संलग्न है।

निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि विभागाध्यक्ष के विस्तृत आख्या मांग ली जाय और अध्यादेश पर पुनर्विचार के लिए वरिष्ठ संकायाध्यक्ष की अध्यक्षता में अधिष्ठाताओं की समिति का गठन किया जाय।

5 अर्चना, पुत्री--श्री ऋषिकेश पाण्डेय, बी0 ए0 प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष--2010, 2011, 2012 चन्द्रगुप्त मौर्य महिला महाविद्यालय, मथौली, बनकटी, बस्ती के पिता के नाम पारस चन्द के स्थान पर ऋषिकेश पाण्डेय के नाम संशोधन करने पर विचार।

निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अर्चना, पुत्री--श्री ऋषिकेश पाण्डेय, बी0 ए0 प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष--2010, 2011, 2012 चन्द्रगुप्त मौर्य महिला महाविद्यालय, मथौली, बनकटी, बस्ती के पिता के नाम पारस नाथ चौधरी के स्थान पर ऋषिकेश पाण्डेय के नाम का संशोधन कर दिया जाय।

6 साधना सिंह पुत्री श्री उदय राज सिंह बी0ए0 प्रथम वर्ष--2012 बी0ए0 II, वर्ष--2013 में साधना सिंह पत्नी अरविन्द पाल, चन्द्रगुप्त महिला महाविद्यालय, मथौली बनकटी, बस्ती के पति के नाम अरविन्द पाल के स्थान पर पिता का नाम--उदयराज सिंह के नाम संशोधन करने पर विचार।

निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि साधना सिंह पुत्री श्री उदय राज सिंह बी0 ए0 प्रथम वर्ष--2012 बी0 ए0 II, वर्ष--2013 में साधना सिंह पत्नी अरविन्द पाल, चन्द्रगुप्त महिला महाविद्यालय मथौली बनकटी, बस्ती के पति के नाम अरविन्द पाल के स्थान पर पिता का नाम--उदयराज सिंह के नाम संशोधन कर दिया जाय।

7. मौस मोहम्मद पुत्र--श्री अबुल हसनात, वर्ष--1991 अनुक्रमांक 21617 दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय केन्द्र से बी0 कॉम0 तृतीय में सम्मिलित है। अनुपस्थित करके परीक्षाफल घोषित करने के लिए आवेदन किया है। U.F.M. की आख्या नहीं है। यह प्रकरण वर्ष--1991 का है परीक्षाफल अनुपस्थित करके घोषित करने पर विचार।

निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि यह प्रकरण संदिग्ध प्रतीत होता है जांच करायी जाय।

8 विरेन्द्र कुमार अनु0--6251150040, एम0 ए0 प्रथम वर्ष--2013, भूगोल की परीक्षा में सम्मिलित है। अभ्यर्थी को औसत अंक देकर परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है। प्रश्नपत्र तृतीय में छात्र औसत अंक से संतुष्ट नहीं है और वह पूर्व अंक की मांग की है; पूर्व अंक देने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अभ्यर्थी के आवेदन को स्वीकार किया जाय।

9. प्रियंका मिश्रा, पुत्री--श्री सुभाष चन्द्र मिश्रा, विधि भाग तीन, वर्ष--2009 अनु0--270310010 ओरियण्टल लॉ इन्स्टीट्यूट, देवरिया के पंचम सेमेस्टर 20 वां प्रश्नपत्र बैकपेपर की परीक्षा कराने का प्रकरण परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 24/01/2014 के बिन्दु संख्या 'ठ' पर रखा गया था। जिसमें समिति ने विशेष परिस्थिति में परीक्षा संत विनोबा डिग्री कालेज, देवरिया पर कराने का निर्णय लिया था। किन्तु परीक्षाफल घोषित करने का कोई निर्णय नहीं है। परीक्षाफल घोषित करने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अभ्यर्थी का परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय।

10. अरुंधती पाण्डेय, बी0 ए0 भाग दो अनु0--79261, वर्ष--1993 सेण्ट एण्ड्रयूज डिग्री कालेज, गोरखपुर ने अपने आवेदन द्वारा अधिक अंक को कम करके अंकतालिका की मांग की है। इस सम्बन्ध में अंकतालिका निर्गत करने के सम्बन्ध में विचार।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सारणीयन पंजिका के अनुसार हिन्दी प्रथम 55 के स्थान पर 70 अंक द्वितीय 48 के स्थान पर 73 अंक समाजशास्त्र में 42, 46 के स्थान पर 79, 70 अंक एवं मनोविज्ञान में 32, 22 के स्थान पर 52, 52 अंक एवं प्रायोगिक 33 के स्थान पर 43 अंक सम्पूर्ण योग 278 के स्थान पर 439 अंक अंकित किया गया है लेकिन इस कटिंग पर किसी का हस्ताक्षर नहीं है। इस प्रकार बी0 ए0 भाग दो के सम्पूर्ण योग में 582 के स्थान पर 743 अंक अंकित किया गया है।

निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अरुंधती पाण्डेय, बी0 ए0 भाग दो अनु0--7920[illegible] वर्ष--1993 सेण्ट एण्ड्रयूज डिग्री कालेज, गोरखपुर के सम्बन्ध में कालेज से बी0 ए0 I, बी0 ए0 II, बी0 ए0 III के चार्ट को मंगाया जाय और कालेज के प्राचार्य से कालेज द्वारा निर्गत अंकपत्र को सत्यापित कराया जाय। सत्यापित होने के बाद कालेज के प्राचार्य से इस प्रकरण में विस्तृत आख्या मांगी जाय।

11. वर्ष 2012--13 के बी0 एड0 कक्षा के अभ्यर्थियों की छूटी प्रायोगिक परीक्षा कराये जाने पर विचार।

निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि कार्यपरिषद के कार्यवृत्त के साथ अगली बैठक में रखा जाय।

12. शिवेन्द्र पाण्डेय, बी0 एस--सी0 भाग तीन वर्ष--2014 अनु0 7123220084, लाल बहादुर शास्त्री स्मारक पी0 जी0 कालेज, आनन्द नगर, महराजगंज द्वारा छात्र को मैनुअल परीक्षा फार्म भर कर परीक्षा में बैठाया गया है। सम्बन्धित महाविद्यालय का परीक्षाफल घोषित हो चुका है; सम्बन्धित छात्र का परीक्षाफल घोषित करने पर विचार।

निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सम्बन्धित महाविद्यालय के छात्रों का परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय।

13. अरुणेश मिश्र, पुत्र--श्री जय प्रकाश मिश्र एम0 ए0 द्वितीय सेमेस्टर अनु0--7530010003, विषय--समाजशास्त्र वर्ष 2013--14 की छूटी प्रायोगिक परीक्षा कराने पर विचार।

निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अध्यादेश पर पुनर्विचार के लिए वरिष्ठ संकायाध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाय।

14. बी0 ए0 भाग तीन वर्ष--2014 राजेश्वर पाण्डेय स्मारक महावि0 दुर्गापट्टी, महुअवा, कुशीनगर द्वारा 16 अभ्यर्थियों का मैनुअल परीक्षा फार्म भर कर परीक्षा बैठाया गया है जिनका परीक्षाफल अपूर्ण है शेष छात्रों का परीक्षाफल घोषित हो चुका है। अपूर्ण छात्रों के परीक्षाफल के सम्बन्ध में प्राचार्य द्वारा दिनांक 05/09/14 को छात्रों का फार्म, फीस रसीद, नामिनल रोल परीक्षा सामान्य विभाग को प्राप्त कराया गया है। अपूर्ण परीक्षाफल घोषित करने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सम्बन्धित महाविद्यालय का परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय।

15. राजेश कुमार गुप्त पुत्र--श्री राम लाल गुप्त बी0 एस--सी0 भाग तीन अनु0--059363, वर्ष--1993, बुद्ध पी0 जी0 कालेज, कुशीनगर के उपाधि निर्गत करने के सम्बन्ध में विचार।

नोट-- बी0 एस--सी0 भाग एक वर्ष--1991, अनु0--26062, प्राप्तांक--229/600, बी0 एस--सी0 भाग दो वर्ष--1992, अनु0 74992 प्राप्तांक--236/600 अंक पा कर परीक्षाफल उत्तीर्ण है किन्तु बी0 एस--सी0 भाग तीन वर्ष--1993 के संदर्भ में परीक्षा सामान्य विभाग की आख्या है कि छात्र तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण है। परन्तु जिस सा0 पं0 के पन्ना में छात्र का नाम अनु0 परीक्षाफल सम्बन्धी विवरण है वह पन्ना अभिलेख कक्ष में एवं महाविद्यालय में भी उपलब्ध नहीं है।

निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रकरण विस्तृत विवरण के साथ अगली बैठक में रखा जाय।

16. कु0 रीता, बी0 एस--सी0 भाग 2 अनु0 35273, वर्ष--1995, अंकसुधार का बढ़ा हुआ अंक बी0 एस--सी0 भाग तीन में अंकित कर अंकतालिका निर्गत करने पर विचार।

निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रकरण विस्तृत विवरण के साथ अगली बैठक में रखा जाय।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार।

1. श्री बुल्लू यादव पुत्र--बेचाई यादव एम0 ए0 भाग दो अंग्रेजी, अनु0--77390, वर्ष--1986, डी0 सी0 एस0 के0 पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, मऊनाथभंजन, आजमगढ़ ने अपने पिता के नाम सज्जी यादव के स्थान पर बेचाई यादव के नाम संशोधन करने पर विचार।

यह प्रकरण परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 20/09/14 के बिन्दु संख्या 7 पर रखा गया था जिसमें समिति ने निर्णय लिया था कि सम्पूर्ण तथ्यों के साथ परीक्षा समिति की अगली बैठक में रखा जाय।

निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि श्री कुन्नू यादव पुत्र--बेचई यादव एम0 ए0 भाग दो अंग्रेजी, अनु0--77390, वर्ष--1986, डी0 सी0 एस0 के पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, मऊनाथभंजन, आजमगढ़ के अपने पिता के नाम सच्ची यादव के स्थान पर बेचई यादव के नाम संशोधन कर दिया जाय तथा अंकतालिका निर्गत कर दी जाय।

ख. प्रीति पाण्डेय एम0 एस--सी0 प्रथम वर्ष, द्वितीय सेमेस्टर, गणित अनुक्रमांक 7477530053 सेंट एण्ड्रयूज कालेज, गोरखपुर के प्रत्यावेदन पर अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय की "संस्तुति संकायों के अधिष्ठातागण एवं कुलपति जी द्वारा हस्ताक्षरित सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत परास्नातक उपाधि हेतु अध्यादेश का स्पष्टीकरण संलग्न है चूंकि परीक्षार्थी ने प्रथम सेमेस्टर से द्वितीय एवं पंचम 2 प्रश्नपत्रों में 20 प्रतिशत से कम अंक पाये हैं इसलिए वे प्रथम में अनुत्तीर्ण होने के कारण एम0 एस--सी0 प्रथम वर्ष में अनुत्तीर्ण हैं इसे अब अगले वर्ष प्रथम सेमेस्टर की पूरी परीक्षा देनी होगी, उसके द्वितीय सेमेस्टर के अंक संरक्षित होंगे" दिनांक 27/09/14 पर विचार।

निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि अध्यादेश पर पुनर्विचार के लिए वरिष्ठ संकायाध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाय।

ग प्राचार्य, सेंट एण्ड्रयूज पी0 जी0 कालेज, गोरखपुर के पत्र दिनांक 22/09/2014 के द्वारा बी0 एड0 वर्ष--2013--14 की परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि बी0 एड0 वर्ष--2013--14 की परीक्षा करा ली जाय तथा उसकी समस्त अनियमितताओं का तथ्यात्मक विवरण (नोट) तैयार कर एन0 सी0 टी0 ई0 को सम्बद्धता समाप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया जाय।

घ बी0 एड0 वर्ष--2014 के परीक्षा हेतु मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या (एम0 एस0) 5176/2014, (एम0 एस0) 4289/2014, (एम0 एस0) 5176/2014 दिनांक 28/08/2014, (एम0 एस0) 5879/2014, (एम0 एस0) 4935/2014, (एम0 एस0) 5888/2014 दिनांक 18/09/2014, (एम0 एस0) 6167/2014, दिनांक 24/09/2014, (एम0 एस0) 6159/2014, (एम0 एस0) 6163/2014, दिनांक 24/09/2014, (एम0 एस0) 6323/2014 दिनांक 26/09/2014 के अनुपालन के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय--समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सम्बन्धित याचिकाओं के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय में स्पेशल अपील दायर की जाय।

अध्यक्ष को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि-- निम्नलिखित के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1. समस्त सम्मानित सदस्य गण।
2. सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
3. वै0स0 कुलसचिव।
4. कुलसचिव
5. उप कुलसचिव, परीक्षा।

परीक्षा नियंत्रक